# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 15/2021 – निगरानी

1. मु० केली बाई पत्नी भवाना भील, निवासी जावदा, तहसील बिजौलिया, जिला भीलवाडा
2. कमला भील पुत्री भवाना भील, पत्नी देवीलाल भील निवासी जावदा, हाल मानगढ़, तहसील बिजौलिया, जिला भीलवाडा

–निगराकार

बनाम

1. कमला रेगर पत्नी श्यामलाल रेगर, निवासी बिजौलिया, जिला भीलवाडा
2. ग्राम पंचायत थडौदा, जरिये सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत, थडौदा, तहसील बिजौलिया, जिला भीलवाडा

– गैर निगराकार

**निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायतीराज अधिनियम**

**विरूद्ध आबादी भूमि विक्रय विलेख बाबत पट्टा सं0 6511 दिनांकित 10–12–2004**

उपस्थित –

1. श्री रमेशचन्द्र सारस्वत अधिवक्ता – निगराकार की ओर से

## निर्णय

दिनांक 26.06.2023

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम जावदा में निगराकारान की घर व गुवाड़ी जिस पर मकान बना, निगराकारान अपने पूर्वजों के समय से रहवास कर रहे थे, के बाबत एक वादपत्र गैर निगराकार सं० 1 ने न्यायालय सिविल न्यायाधीश महोदय, बिजौलिया के यहां प्रकरण सं0 16/2020 ई०दी० व 14/2020 मु०दी० पेश करते हुए अपने पक्ष में स्थाई, अस्थाई व आदेशात्मक निषेधाज्ञा निगराकारान के विरूद्ध चाही, जिसमें वर्णित अभिवचनों के तहत गैर निगराकार सं0 1 के पक्ष में पट्टा सं0 6511 दिनांक 10–12–2004 क्षेत्रफल 1330 वर्गफीट का उनके पक्ष में जारी किया जाना वर्णित करते हुए भूखण्ड पर निगराकारान द्वारा अवैध कब्जा करने का अंकन कर निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। इस वाद की जानकारी दिनांक 24–09–2020 व 07–10– 2020 को होने पर निगराकारान ने दिनांक 01–12–2020 को ग्राम पंचायत, थडौदा से उक्त पट्टा सं0 6511 दिनांक 10–12–2004 की पत्रावली व उपलब्ध रेकार्ड की सत्यप्रतिलिपि की मांग की गई, जिस पर ग्राम पंचायत ने निगराकारान को यह प्रमाणपत्र जारी किया कि उक्त पट्टा सं0 6511 के सम्बन्ध में कोई रेकार्ड या पत्रावली उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार गैर निगराकार सं0 1 ने सर्वथा फर्जी व कूटरचित आबादी भूमि का विक्रय विलेख सं0 6511 दिनांक 10–12–2004 को नियम 157 –ख के अनुसरण में तैयार कर निगराकारान के पुश्तैनी मकान घर गुवाडी पर जबरन कब्जा करने के उद्देश्य से यह

जाती है। प्रकरण में निगराकार अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

निगराकार ने अपनी बहस में निगरानी में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि ग्राम पंचायत ने यह प्रमाणपत्र जारी किया कि उक्त पट्टा सं0 6511 के सम्बन्ध में कोई रेकार्ड या पत्रावली उपलब्ध नहीं है। ग्राम पंचायत गैर निगराकार सं0 2 ने उक्त आबादी भूमि का विक्रय विलेख जारी करने बाबत किसी प्रकार की पत्रावली संधारित नहीं की, इस बाबत कोई संकल्प भी पारित नहीं किया गया, आपत्तियां आमंत्रित ही नहीं की गई और न ही कब्जे के इस बाबत पडौसी व्यक्तियों के कोई शपथपत्र या बयान रेकार्ड किए गए। इस प्रकार नियम 157 –ख की कोई पालना व जांच किए बिना जारी किया गया विक्रय विलेख सर्वथा शून्य होकर कांबिल निरस्ती के है। मौके पर उक्त विक्रय विलेख की भूमि भूखण्ड के रूप में स्थित हैं, जिस पर कोई निर्माण पूर्व से गैर निगराकार सं0 1 का नहीं है एवं गैर निगराकार सं0 1 ने अपने दिवानी दावों के अभिवचनों में भी भूखण्ड ही वर्णित किया है। इस प्रकार नियम 157–ख केवल पुराने मकानों के विनियमितिकरण के बाबत है, किन्तु यह विकय विलेख मकान के अभाव में केवल भूखण्ड बाबत जारी किया गया होकर निरस्त योग्य है। विवादित विक्रय विलेख सं0 6511 के बाबत तथाकथित जमा की गई 200/– रू० की राशि किस रसीद संख्या द्वारा जमा की गई है, वह भी विक्रय विलेख में अंकित नहीं है। इस प्रकार बिना राशि जमा किए हुए जारी किया गया विवादित विक्रय विलेख निरस्त योग्य है। गैर निगराकार सं0 1 की पुत्री दुर्गा रेगर तत्कालीन समय में सरपंच के पद पर थी और उसके प्रभाव का उपयोग कर गैर निगराकार सं0 1 ने यह फर्जी व विधि विपरीत विकय विलेख जारी करवाया है, जो निरस्त योग्य है। निवेदन है कि निगरानी निगराकार स्वीकार की जाकर गैर निगराकार सं0 1 के पक्ष में जारी किए गए या बनाये गये विक्रय विलेख दिनांकित 10–12–2004 को निरस्त किया जावें।

प्रकरण में निगराकार अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि कार्यालय ग्राम पंचायत थडौदा पंचायत समिति बिजोलिया के पत्रांक/2020–21/स्पे. 2 दिनांक 25.02.2021 अनुसार पटटा संख्या 6511 दिनांक 10.12.2004 की पत्रावली ग्राम पंचायत थडौदा के रिकार्ड में उपलब्ध नहीं हैं, पटटे की मूल प्रति पायी गयी जो प्रस्तुत है। पटटा संख्या 6511 का अवलोकन से जाहिर होता हैं कि पटटे पर मिसल संख्या, पत्रावली संख्या आदि अंकित नहीं हैं। पटटे पर ग्राम सचिव के हस्ताक्षर नहीं हैं। पटटा धारक/केता के हस्ताक्षर भी नहीं हैं। पटटे पर 200/–रूपये राशि प्रतिफल अंकित हैं, किन्तु कौनसी रसीद संख्या से जमा की गयी ? इसका कोई उल्लेख अंकित नहीं हैं।

पत्रावली परीक्षण से जाहिर होता हैं कि प्रश्नगत पटटे के बिन्दु संख्या 02 पर उक्त पटटा नियम 157 (ख) के तहत बाजार दर पर बातचीत द्वारा बेची गयी है, का अंकन किया हुआ हैं। जबकि राजस्थान पंचायतीराज नियमावली के नियम 157(ख) अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा 50 वर्षों से अधिक पुराने कब्जे के आधार पर पुश्तैनी मकान हेतु पटटे जारी किये जाने का नियम प्रतिपादित है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता हैं कि ग्राम पंचायत थडौदा ने उक्त प्रश्नगत पटटा संख्या 6511 विधि विरूद्व तरीके से, पुश्तैनी मकानो के संबंध में नियम 157(ख) की स्पष्ट उल्लंघना करते हुये जारी किया हैं।

अतः उक्त विवेचन अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा पटटा जारी करने में पंचायत राज अधिनियम के नियम 157 (ख) की उल्लंघना की जाना स्पष्ट होता हैं। प्रश्नगत पट्टा प्रारब्ध से ही शून्य होकर खारिज होने योग्य ठहरता हैं। जिससे निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

## आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत निगरानी स्वीकार की जाती हैं। ग्राम पंचायत थडौदा पंचायत समिति बिजौलिया के पटटा संख्या 6511 दिनांकित 10.12.2004 को निरस्त किया जाता हैं। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत थडौदा पंचायत समिति बिजौलिया को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)